सत्यमेव जयते

लेखे एक नजर में

2012-13

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

लेखे एक नजर में

वर्ष 2012-13

झारखण्ड सरकार

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य सरकार के वार्षिक लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन राज्य विधान मंडल के पटल पर रखने के लिए बनाये और जाँचे गये हैं।

वार्षिक लेखे-समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अधीन लेखे का संक्षिप्त विवरण है। विनियोग लेखे में राज्य विधान मंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरूद्ध अनुदानवार व्ययों को दर्ज किया जाता है एवं वास्तविक व्यय तथा उपलब्ध कराये गये निधियों के बीच अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। महालेखाकार (लेखा एवं हक०) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

'लेखे एक नजर में' सरकारी क्रियाकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित है। ये सूचना संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों और ग्राफों के द्वारा दर्शाया गया है।

हमें उन परामर्शों की अपेक्षा है जो हमारे प्रकाशन के सुधार में सहायक सिद्ध हो।

(मनोज सहाय)

महालेखाकार (ले०एवं हक०)

स्थान : राँची

दिनांक : 5 नवम्बर 2013

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं मूल्यांकन सार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह इंगित करता है कि

हमें यह प्रयास करना है कि (वैश्विक नेतृत्व) सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षण एवं लेखाकरण में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम पद्धति का प्रवर्तक रहें एवं हमारा वैश्विक नेतृत्व हो तथा लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित एवं सामयिक प्रतिवेदन के लिए पहचाना जाए।

हमारा उद्देश्य हमारे वर्तमान दायित्व को निरूपित करता है तथा यह दर्शाता है कि वर्तमान में हमलोग क्या कर रहे हैं।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशाधीन, हम उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षण तथा लेखाकरण के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं अच्छे अभिशासन को प्रोत्साहित करते हैं, तथा अपने भागीदारों-विधानमंडल, कार्यपालिका एवं जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक निधियों का उपयोग दक्षतापूर्वक तथा इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

सभी के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा मूल्यांकन सार प्रज्ज्वलित दीप की तरह मार्गदर्शन करे तथा अपनी कार्यकुशलता को परखने में हमें दिशा-निर्देश प्रदान करे।

- स्वतंत्रता
- वस्तुनिष्ठता
- निष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक दक्षता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय–सूची

अध्याय-1	विहंगावलोकन	पृष्ठ
1.1	भूमिका	7
1.2	लेखे की संरचना	7
1.2.1	सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं	7
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	7
1.3.1	वित्त लेखे	7-8
1.3.2	विनियोग लेखे	8
1.4	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	8
1.4.1	अर्थोपाय अग्रिम	8
1.4.2	निधि प्रवाह विवरणी (निधियों के श्रोत एवं उपयोग)	9
1.4.3	रूपये कहाँ से आए	10
1.4.4	रूपये कहाँ गए	10
1.5	लेखे की विशिष्टता	11
1.6	घाटा एवं अधिशेष क्या दर्शाता है?	12
1.6.1	राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृति	12
1.6.2	राजकोषीय घाटा की प्रवृति	13
1.6.3	पूंजी व्यय पर खर्च हेतु उधार लिये गए निधियों का अनुपात	13
अध्याय-2	**प्राप्तियाँ**	
2.1	भूमिका	14
2.2	राजस्व प्रप्तियाँ	14-15
2.3	प्राप्तियों की प्रवृति	15-16
2.4	राज्य की स्व कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन	16
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	17
2.6	विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सों की प्रवृति	17
2.7	सहायक अनुदान	18
2.8	लोक ऋण	18-19
अध्याय-3	**व्यय**	
3.1	भूमिका	20
3.2	राजस्व व्यय	20
3.2.1	राजस्व व्यय (2012-13) का खण्डवार वितरण	20
3.2.2	राजस्व व्यय (2008-13) के मुख्य घटक	21
3.3	पूंजीगत व्यय	21
3.3.1	पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण	21
3.3.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण	22

अध्याय-4	**योजना एवं गैर-योजना व्यय**	
4.1	व्यय का वितरण (2012-13)	23
4.2	योजना व्यय	23
4.2.1	पूंजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय	23
4.3	गैर-योजना व्यय	24
4.4	वचनबद्ध व्यय	24-25
अध्याय-5	**विनियोग लेखे**	
5.1	वर्ष 2012-13 के लिए विनियोग लेखे का सारांश	26
5.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृति	26
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	26-27
अध्याय-6	**परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व**	
6.1	परिसम्पत्तियाँ	28
6.2	ऋण एवं दायित्व	28
6.3	निवेश एवं वापसियां	28
6.4	प्रत्याभूति	28
अध्याय-7	**अन्य मदें**	
7.1	आन्तरिक ऋण के अधीन शेष	29
7.2	राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम	29
7.3	स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता	29
7.4	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	29
7.5	लेखे का पुनर्मिलान	30
7.6	कोषागारों द्वारा लेखे का प्रेषण	31
7.7	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी.सी.)	31
7.8	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता	31
7.9	व्यय की तीव्रता	31-32

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1 भूमिका

जिला कोषागारों, लोक-निर्माण कार्यों एवं वन प्रमंडलों द्वारा भेजे गए लेखे से राज्य सरकार के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित और समेकित किये जाते हैं। इसके अलावे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्त लेखे और विनियोग लेखे महालेखाकार द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किये जाते हैं।

1.2 लेखे की संरचना

1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :-

भाग - I समेकित निधि	राजस्व एवं पूंजीगत लेखे, लोक ऋण तथा कर्जे एवं पेशगियां पर प्राप्तियाँ और व्यय
भाग - II आकस्मिकता निधि	वैसे अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं है, तदोपरान्त इस निधि से व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से की जाती है।
भाग - III लोक लेखे	इसमें ऋण, जमा, पेशगियां, प्रेषण तथा उचंत लेनदेन शामिल है। ऋण एवं जमा सरकार की देयता के पुनर्भुगतान को इंगित करता है। पेशगियां सरकार की प्राप्तियाँ हैं। प्रेषण उचंत लेनदेन समायोज्य प्रविष्टियाँ हैं जिसे अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकन द्वारा उत्तरोत्तर समाशोधित किया जाता है।

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

लेखे में दर्ज शेषों के परीक्षण के आधार राजस्व और पूंजी लेखे, लोक ऋण के लेखे एवं दायित्वों तथा सम्पत्तियों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों के साथ वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों और व्ययों के लेखे वित्त लेखे प्रस्तुत करता है। वित्त लेखे को अधिक व्यापक एवं सूचनात्मक बनाने हेतु इसे दो खण्डों में बनाया गया है। वित्त लेखे के खण्ड - I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, सम्पूर्ण प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त विवरण समाहित है तथा 'लेखे पर टिप्पणियाँ', जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण की नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता तथा अन्य मदें शामिल हैं। खण्ड - II में अन्य संक्षिप्त विवरणों (भाग - I), विस्तृत विवरणों (भाग - II) तथा परिशिष्टों (भाग - III) को शामिल किया जाता है।

झारखण्ड सरकार के प्राप्तियों और व्ययों, जैसा कि वित्त लेखे, 2012-13 में अंकित है, को नीचे दर्शाया गया है -

(करोड़ रूपयों में)

प्राप्तियाँ (कुल : ₹ 28,319)	**राजस्व : (कुल ₹ 24,770)**	कर राजस्व	16,412
		करेतर राजस्व	3,536
		सहायक अनुदान	4,822
	पूंजी : (कुल ₹ 3,549)	कर्ज एवं पेशगियों की वसूली	43
		उधार एवं अन्य दायित्व*	3,506

संवितरण (कुल : ₹ 28,319)	राजस्व	23,400
	पूंजी	4,318
	कर्ज एवं पेशगियाँ	601

* उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ-संवितरण) + निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष

केन्द्र सरकार, राज्य में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक निधियों का हस्तांतरण करती है। वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 2,622 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 4,194 करोड़) प्रत्यक्ष रूप से विमुक्त किया। राज्य में अवस्थित केन्द्रीय निकायों के साथ-साथ झारखण्ड सरकार के अधीनता से परे विभिन्न अन्य संगठनों को वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 234.45 करोड़ एवं ₹ 146.05 करोड़ की राशि विमुक्त की गई, जो इसमें शामिल नहीं है। चूँकि इन निधियों का उल्लेख राज्य के बजट में नहीं किया गया जाता है इसलिए राज्य सरकार के लेखे में ये निधियाँ प्रतिबिम्बित नहीं होते हैं। वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड - II के परिशिष्ट - VII में इन अंतरणों को दर्शाया जा रहा है।

1.3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे का सम्पूरक है। यह समेकित निधि पर प्रभारित अथवा राज्य विधान मंडल द्वारा दत्तमत राशियों के विरूद्ध राज्य सरकार के व्यय को दर्शाता है। इसमें 05 प्रभारित विनियोग, 54 दत्तमत अनुदान, 01 दत्तमत एवं प्रभारित मिश्रित अनुदान हैं।

विनियोग अधिनियम, 2012-13 द्वारा ₹ 38,494 करोड़ रूपये का सकल व्यय तथा व्यय में कमी (वापसियाँ) के अन्तर्गत ₹ 301 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसके विरूद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 30,532 करोड़ था तथा ₹ 299 करोड़ व्यय की कमी के अन्तर्गत था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7,962 करोड़ (26 प्रतिशत) का निवल बचत हुआ तथा व्यय की कमी पर ₹ 2 करोड़ (1 प्रतिशत) का कम आकलन किया गया।

सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के द्वारा निकासी किया गया ₹ 594 करोड़ शामिल था, जो कि विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के अभाव में वर्ष के अन्त तक अभी भी लंबित है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, ₹ 2,193 करोड़ लोक लेखे के अन्तर्गत व्यक्तिगत जमा लेखा को समेकित निधि से पुनः हस्तांतरित किया गया था, जिसका रखरखाव विशेष उद्देश्यों के लिए पद्नामित प्रशासकों द्वारा किया जाता है। साधारणतः जमा लेखों के अन्तर्गत अव्ययित शेषों को वित्तीय वर्ष के अन्त में समेकित निधि में पुनः हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। यद्यपि, ऐसे हस्तांतरणों का विस्तृत विवरण यदि कोई है, तथा स्व व्यक्तिगत जमा लेखों में बकाया शेष केवल कोषागारों में ही उपलब्ध होगा, चूँकि वे ही इस प्रकार के अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी हैं।

1.4 निधियों के स्रोत तथा उपयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

राज्य सरकारों को अपनी परिशोधित स्थिति को कायम रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थोपाय पेशगियों की सुविधा में बढ़ोत्तरी किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रख-रखाव में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष (15 नवम्बर 2000 से प्रभावी ₹ 0.45 करोड़) में जब कोई कमी आती है तो उसके लिए ओवर ड्राफ्ट की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान झारखण्ड सरकार ने ग्यारह दिन के लिए साधारण, दो दिनों के लिए विशेष अर्थोपाय पेशगियाँ प्राप्त किया तथा ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का सहारा नहीं लिया है।

1.4.2 निधि प्रवाह विवरण

राज्य के पास ₹ 1,370 करोड़ का राजस्व अधिशेष एवं ₹ 3,506 करोड़ का राजकोषीय घाटा था, जो सकल राज्य घरेलु उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[1] के क्रमशः 1 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय के 12 प्रतिशत को संस्थापित करता है।

इस घाटे को लोक ऋण (₹ 5,199 करोड़) लोक लेखे में अभिवृद्धि (₹ 340 करोड़) तथा निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष (₹ (-) 150,35 करोड़) से पूरा किया गया। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 24,770 करोड़) का लगभग 48 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 6,490 करोड़), ब्याज अदायगियाँ (₹ 2,391 करोड़) एवं पेंशन (₹ 3,031 करोड़) पर व्यय किया गया।

निधियों के स्रोत तथा उपयोग

(करोड़ रूपयों में)

विवरण		राशि
स्रोत	01/04/2012 को अथ रोकड़ शेष	94
	राजस्व प्राप्तियाँ	24,770
	कर्ज एवं अग्रिम की वसूली	43
	लोक ऋण	5,199
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	...
	लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य	668
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियां	280
	जमा प्राप्ति	8,571
	सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान	134
	उचंत लेखा	20,308
	प्रेषण	4,643
	आकस्मिकता निधि	...
	कुल	**64,710**
उपयोग	राजस्व व्यय	23,400
	पूंजी व्यय	4,218
	दिए गए कर्जे	601
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2,183
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	100
	लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य	646
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियां	403
	खर्च किए गए जमा	7,281
	दिए गए सिविल अग्रिम	135
	उचंत लेखा	21,015
	प्रेषण	4,784
	31.03.2013 को अन्त रोकड़ शेष	(-) 56
	कुल	**64,710**

[1] अन्य रूप से दर्शायें गए को छोड़कर इस प्रकाशन में उपयोग में लाये गये स०रा०घ०उ० आँकड़े योजना एवं विकास विभाग (आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय) झारखण्ड सरकार से लिए गए हैं।

1.4.3 रूपये कहाँ से आए

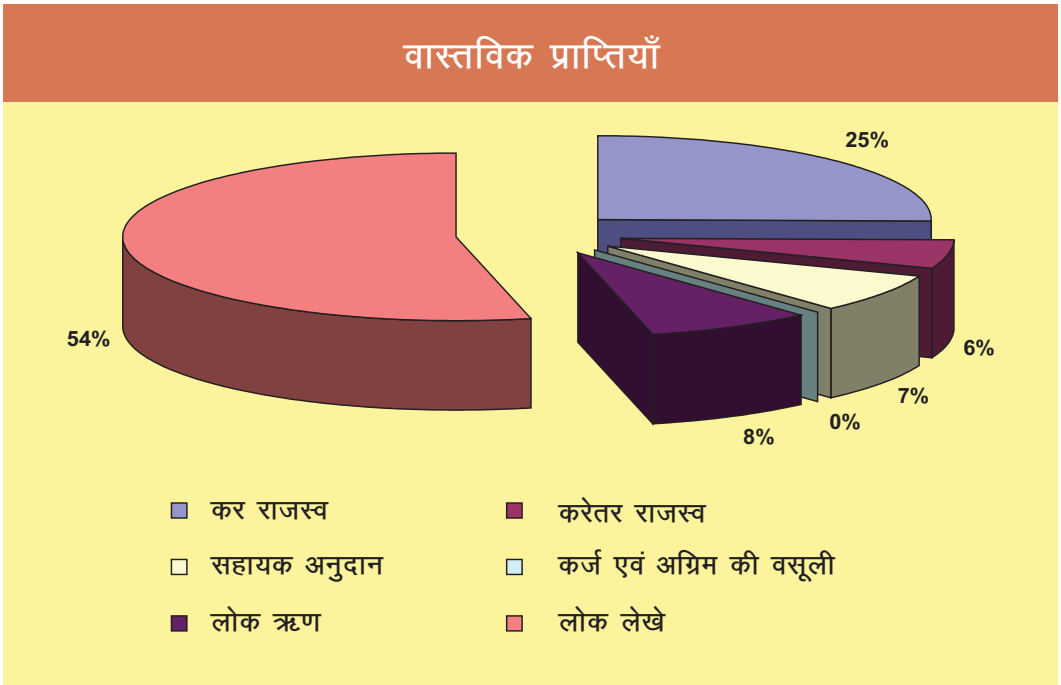

1.4.4 रूपये कहाँ गए

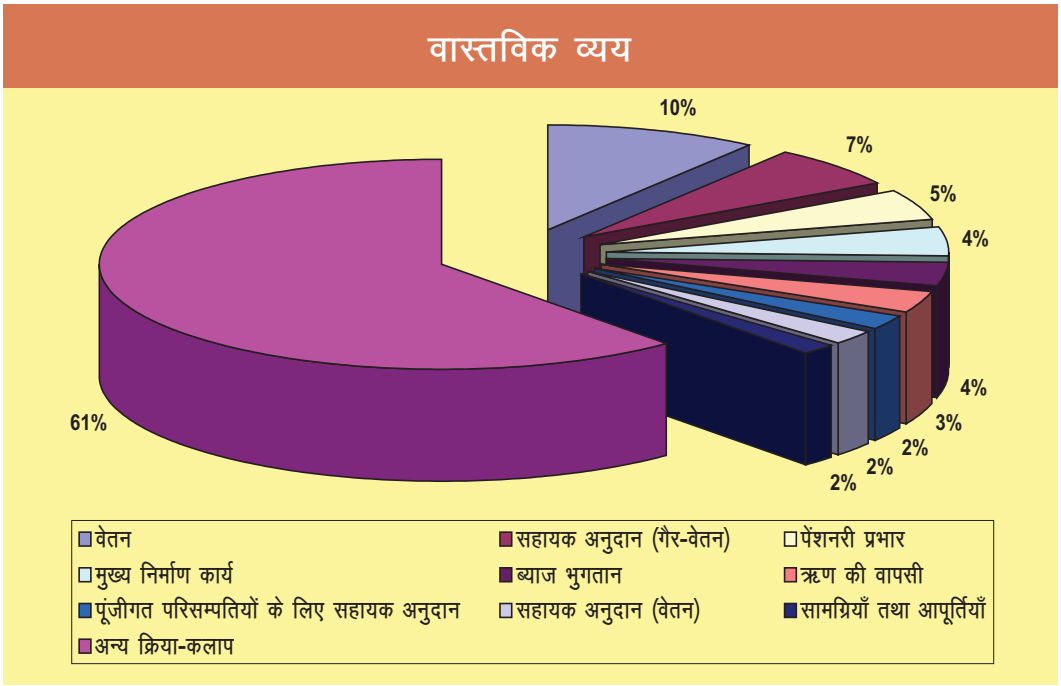

1.5 लेखे की विशिष्टता

(करोड़ रूपयों में)

क्र० सं०	स्रोत	ब.प्रा. 2012-13	वास्तविकी	वास्तविकी ब.प्रा. की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. की वास्तविकी से प्रतिशतता ($) 1,56,781 करोड़
1.	कर राजस्व (@)	17237	16412	95	10
2.	करेतर राजस्व	3961	3536	89	2
3.	सहायक अनुदान एवं अंशदान	11228	4822	43	3
4.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	32426	24770	76	16
5.	कर्जे एवं अग्रिमों की वसूली	56	43	77	...
6.	उधार एवं अन्य दायित्व (क)	4632	3506	76	2
7.	पूंजी प्राप्तियाँ (5+6)	4688	3549	76	2
8.	कुल प्राप्तियाँ (4+7)	37114	28319	76	18
9.	गैर-योजना व्यय (*)	18404	15882	86	10
10.	राजस्व लेखा पर गै.यो. व्यय	16547	15657	95	10
11.	10 में से ब्याज भुगतान पर गै.यो.व्यय	2435	2391	98	2
12.	पूंजी लेखा पर गै.यो. व्यय (^)	1857	225	12	...
13.	योजना व्यय (*)	18710	12438	66	8
14.	राजस्व लेखा पर योजना व्यय	11253	7743	69	5
15.	पूंजी लेखा पर योजना व्यय	7457	4695	63	3
16.	कुल व्यय (9+13)	37114	28319	76	18
17.	राजस्व व्यय (10+14)	27800	23400	84	15
18.	पूंजी व्यय (12+15) (#)	9314	4919	53	3
19.	राजस्व अधिशेष (4-17)	4626	1370	30	1
20.	राजकोषीय घाटा (4+5-16)	4632	3506	76	2

(@) संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 8,188 करोड़ सम्मिलित है।

($) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ₹ 1,56,781 करोड़ योजना एवं विकास विभाग (आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय), झारखण्ड सरकार से लिया गया है।

(#) पूंजी लेखा पर व्यय में पूंजी व्यय (₹ 4,318 करोड़) एवं संवितरित कर्जे तथा अग्रिमों (₹ 601 करोड़) सम्मिलित है।

(*) व्यय में ₹ 57 करोड़ गैर-योजनान्तर्गत एवं ₹ 544 करोड़ योजनान्तर्गत सम्मिलित है जो कर्जे एवं अग्रिमों से संबंधित है।

(क) उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ - संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष।

(^) गैर-योजनान्तर्गत पूंजी व्यय में अन्तर्राज्यीय परिशोधन के ₹ 100 करोड़ सम्मिलित है।

1.6 घाटा एवं अधिशेष क्या दर्शाता है ?

घाटा	राजस्व एवं व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है, घाटों के प्रकार, घाटा कैसे सम्पोषित हुआ तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन में विवेक का महत्वपूर्ण सूचकांक है।
राजस्व घाटा/ अधिशेष	राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान स्थापना के रख-रखाव के लिए आवश्यक है तथा आदर्शतः राजस्व प्राप्तियों से ही उसे पूर्णतः पूरा किया जाना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/ अधिशेष	कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर) तथा कुल व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। इसलिए यह अन्तर उधारों द्वारा व्यय को किस सीमा तक सम्पोषित किया गया है, सूचित करता है। आदर्शतः उधारों को पूँजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

घाटा सूचकांक, राजस्व को वृद्धि एवं व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय दक्षता को परखने का मुख्य मापदण्ड है। राज्य सरकार को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने राज्यों को समेकित ऋण एवं राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) में अभिवृद्धि की है जिसके तहत सफल राज्य सरकारें मूलधन एवं/अथवा ब्याज के पुनर्भुगतान पर राहत प्राप्त कर सकेंगे।

वर्ष 2006-07 के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा राजस्व अधिशेष के लक्ष्य को प्राप्त किया गया और उसके बाद भी इसे कायम रखा गया [1]। यद्यपि, राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच स.रा.घ.उ. में राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता के परिकलन में मत भिन्नता है। राज्य सरकार के आकलन के दौरान स.रा.घ.उ. में राजकोषीय घाटे के अनुपात [2] को वर्ष 2011-12 में 1.59 प्रतिशत (अंतरिम आंकड़ा) एवं 1.42 प्रतिशत (द्रूत आंकड़े) तथा वर्ष 2012-13 में 2.95 प्रतिशत (बजट प्राक्कलन) की सीमा के बीच था [3]।

1.6.1 राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृति

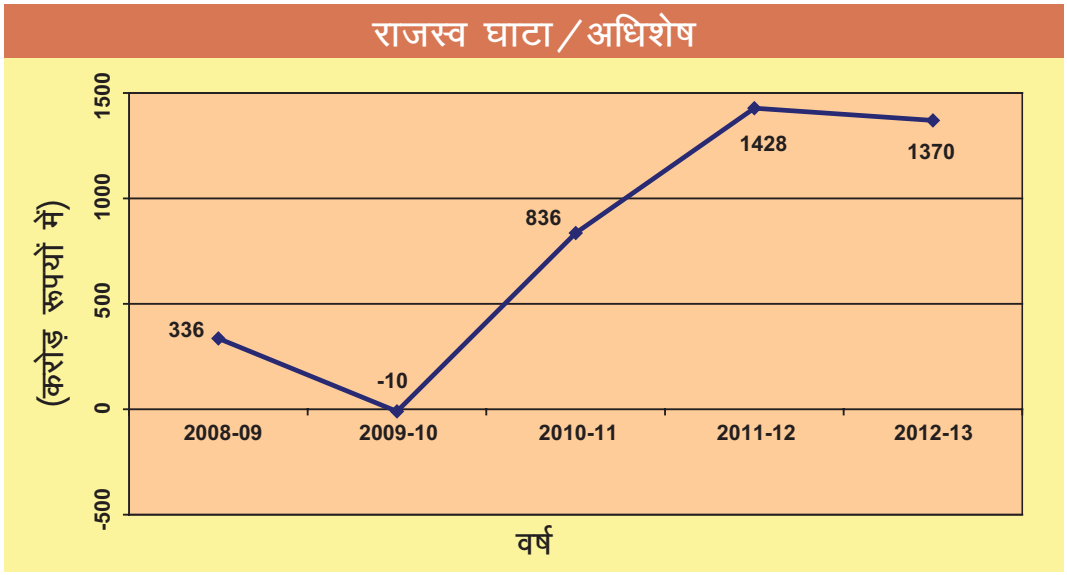

1. वर्ष 2011-12 में राजस्व अधिशेष रू. 1,428 करोड़ था एवं वर्ष 2012-13 में भी अधिशेष रू. 1,370 करोड़ था।
2. वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटा ₹ 2,001 करोड़ एवं वर्ष 2012-13 में ₹ 3,506 करोड़ था।
3. योजना एवं विकास विभाग के अनुसार झारखण्ड सरकार का वर्ष 2011-12 में ₹ 1,26,041 करोड़ (अग्रिम आंकड़े) तथा ₹ 1,40,557 करोड़ (अग्रिम आंकड़े) के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा जबकि वर्ष 2012-2013 के लिए सकल राज्य घेरलू उत्पाद ₹ 1,56,781 करोड़ (अन्तरिम आंकड़े) था।

1.6.2 राजकोषीय घाटा की प्रवृति

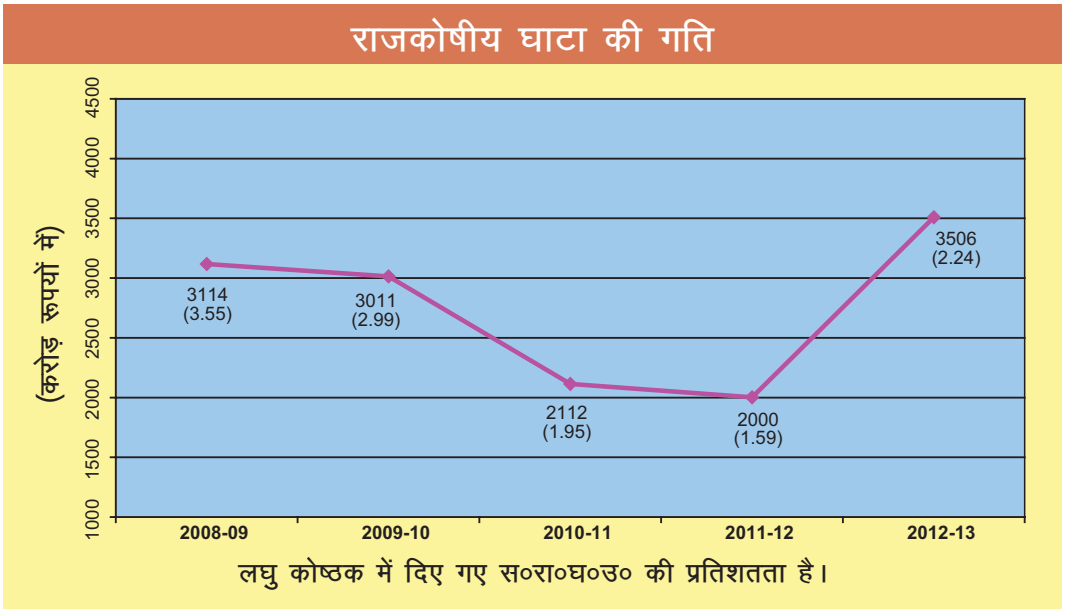

1.6.3 पूंजी व्यय पर खर्च हेतु उधार लिए गए निधियों का अनुपात

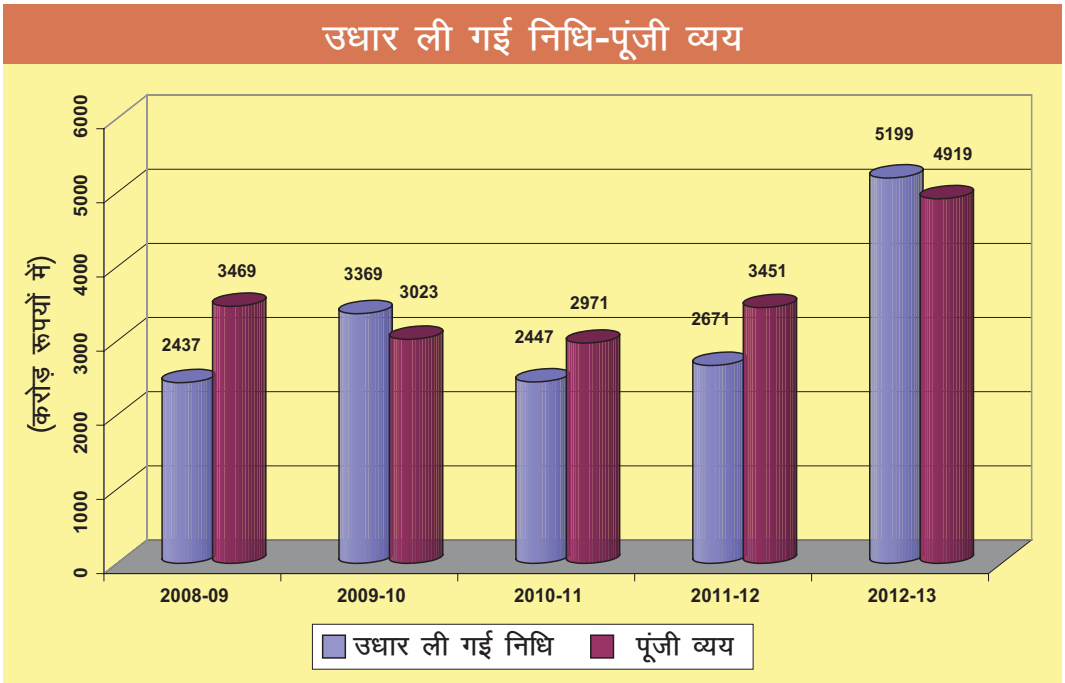

यह अपेक्षा की जाती है कि पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु उधार ली गयी निधियों का पूर्णतः उपयोग किया जाय तथा मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राजस्व प्राप्तियों का उपयोग हो।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार ने चालू वर्ष के उधारों से अपने पूंजीगत व्यय के लिए (₹ 5,199 करोड़) तथा पूंजीगत व्यय पर राजस्व अधिशेष (₹ 1,370 करोड़) सम्पोषित किया।

अध्याय–2

प्राप्तियाँ

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को दो भागों यथा राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूंजीगत प्राप्तियाँ में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2012-13 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹ 28,319 करोड़ था।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अधीन संघीय करों में राज्य का हिस्सा से संबंधित करों को राज्य सरकार द्वारा संग्रहण करना एवं रखना शामिल है।
करेतर राजस्व	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल है।
सहायक अनुदान	अनिवार्यतः संघीय सरकार से राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलने वाली राशि विदेशी सरकारों से प्राप्त होने वाली वाह्य अनुदान सहायता एवं सहायता उपस्कर एवं सामग्री जिसे संघीय सरकार के माध्यम से विभिन्न सरकारों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार भी संस्थाओं यथा-पंचायती राज संस्थान, स्वायतशासी निकायों आदि को सहायक अनुदान देती है।

(करोड़ रूपयों में)

राजस्व प्राप्तियाँ का घटक

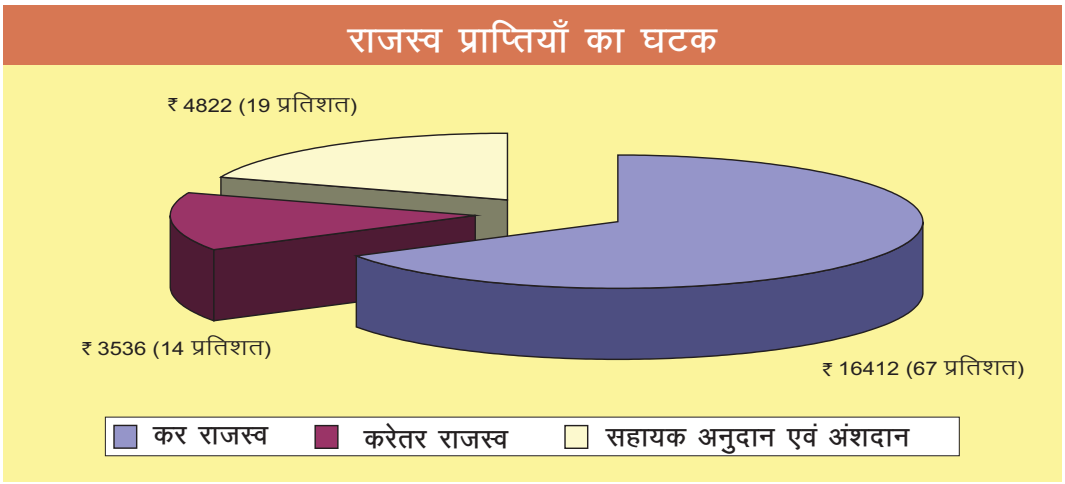

राजस्व प्राप्तियाँ का घटक (2012-13)

(करोड़ रूपयों में)

	घटक	वास्तविकी
क.	**कर राजस्व**	**16,412**
	आय तथा व्यय पर कर	4,745
	सम्पति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	594
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	11,073
ख.	**करेतर राजस्व**	**3,536**
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	88
	सामान्य सेवायें	39

	घटक	वास्तविकी
	सामाजिक सेवायें	105
	आर्थिक सेवायें	3304
ग.	**सहायक अनुदान एवं अंशदान**	**4822**
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**24,770**

2.3 प्राप्तियों की प्रवृति

(करोड़ रूपयों में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कर राजस्व	9,145 (10)	10,048 (10)	11,871 (11)	14,124 (11)	16,412 (10)
करेतर राजस्व	1,952 (2)	2,254 (2)	2,803 (3)	3,038 (2)	3,536 (2)
सहायक अनुदान	2,116 (2)	2,817 (3)	4,107 (4)	5,257 (4)	4,822 (3)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	13,213 (15)	15,118 (15)	18,781 (17)	22,419 (16)	24,770 (16)
स.रा.घ.उ.	87,793*	1,00,621*	1,25,824 (P)	1,40,558 (Q)	1,56,781 (A)

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित आँकड़ों को योजना एवं विकास विभाग (आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय), झारखण्ड सरकार से लिया गया है।

(पी०) अंतरिम आकलन (क्यू०) द्रुत आकलन (ए०) अग्रिम आकलन

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में आँकड़ें स०रा०घ०उ०, जो कि पूर्णांकित आंकड़े के रूप में है, की प्रतिशतता को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व संग्रह वर्ष 2011-12 की तुलना में 10 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के बीच स.रा.घ.उ. में वृद्धि 12 प्रतिशत ही था। कर राजस्व में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा करतेर राजस्व में भी 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (₹ 3,142 करोड़), लाभांश एवं लाभ (₹ 87 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 20 करोड़) एवं जलापूर्ति तथा सफाई (₹ 19 करोड़) के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संग्रह किया गया। निश्चित कर घटकों जैसे बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 6,422 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 578 करोड़), पंजीकरण शुल्क (₹ 492 करोड़), वाहन कर (₹ 465 करोड़) तथा स्टाम्प-गैर न्यायिक (₹ 305 करोड़) के अन्तर्गत राज्य का स्व राजस्व उच्च प्रवृति को दर्शाता है।

स०रा०घ०उ० के अनुपात में राजस्व प्राप्तियाँ के अधीन घटक

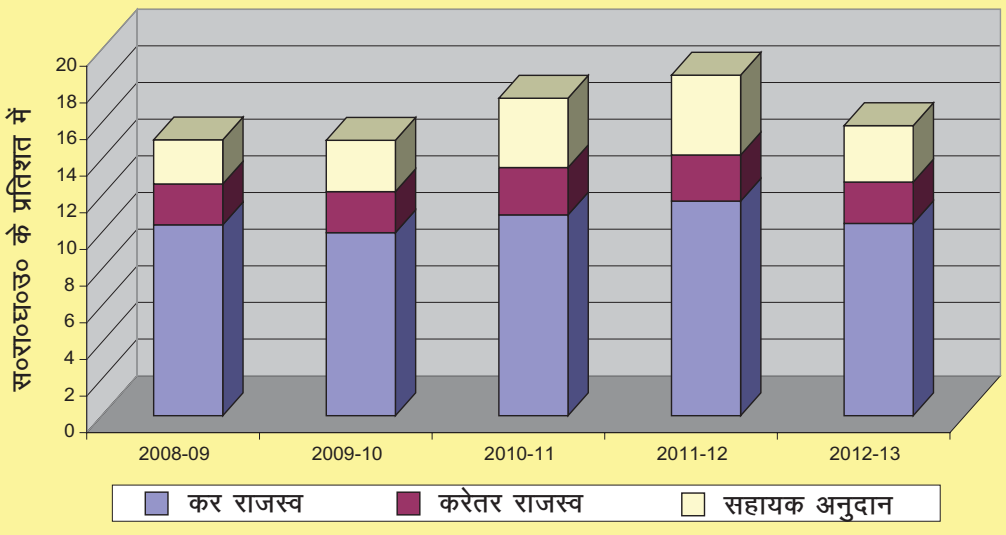

खण्डवार - कर राजस्व

(करोड़ रूपयों में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आय तथा व्यय पर कर	2,878	3,555	3,677	4,256	4,745
सम्पति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	247	285	464	465	594
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	6,020	6,208	7,730	9,403	11,073
कुल कर राजस्व	**9,145**	**10,048**	**11,871**	**14,124**	**16,412**

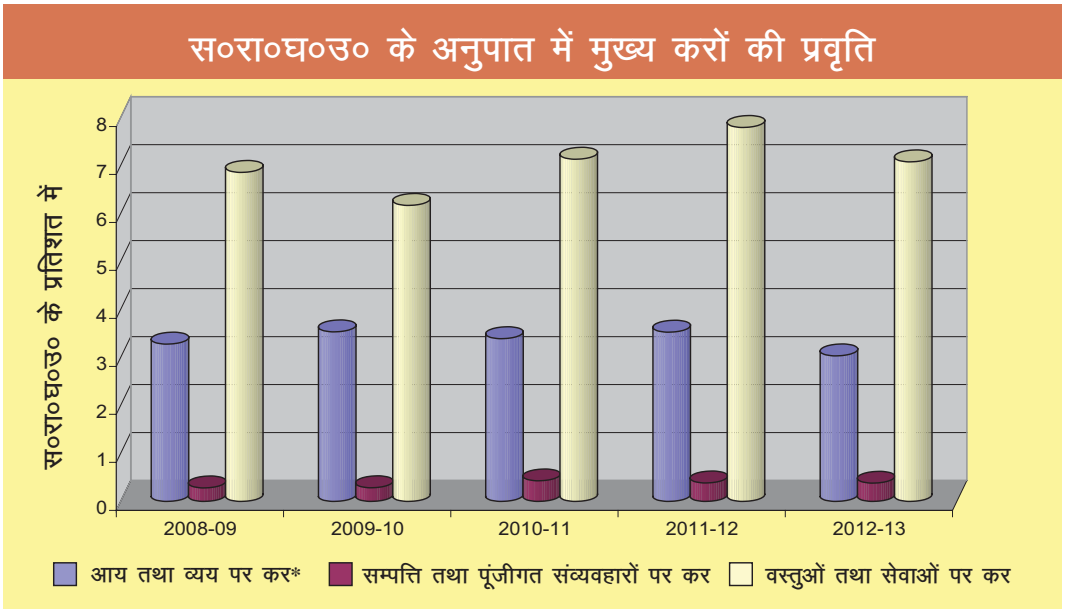

(*) मुख्यतः राज्य को केन्द्रीय हिस्से का निवल आगम

2.4 राज्य की स्व कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	राज्य का स्व कर राजस्व	
			राशि	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008-2009	9,145	5,392	3,753	4.26
2009-2010	10,048	5,548	4,500	4.61
2010-2011	11,871	6,154	5,717	5.27
2011-2012	14,124	7,170	6,954	5.52
2012-2013	16,412	8,188	8,224	5.25

राज्य स्व कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में 5.25 प्रतिशत है।

2.5 कर संग्रहण की दक्षता

क. सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर

(करोड़ रूपयों में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व संग्रहण	247	285	464	465	594
संग्रहण पर व्यय	138	161	157	171	182
कर संग्रहण की दक्षता (प्रतिशत में)	56	57	34	37	31

ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(करोड़ रूपयों में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व संग्रहण	6,020	6,208	7,730	9,403	11,073
संग्रहण पर व्यय	40	50	59	72	63
कर संग्रहण की दक्षता (प्रतिशत में)	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर एक प्रकार से कर राजस्व का मुख्य भाग है। कर संग्रहण की मात्रा को कुछ और बढ़ाने की आवश्यकता है।

2.6 विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सा की प्रवृति

(करोड़ रूपये में)

मुख्य शीर्ष का वर्णन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
निगम कर	1,768	2,283	2,406	2,822	2,941
निगम कर से भिन्न आय पर कर	1,110	1,272	1,271	1,434	1,761
धन कर	2	5	5	11	5
सीमा शुल्क	1,031	776	1,076	1,243	1,361
संघ उत्पाद शुल्क	899	625	783	804	925
सेवा कर	583	586	614	856	1,196
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	...	...	...	...	...
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	5,393	5,547	6,155	7,170	8,189
कुल कर राजस्व	9,145	10,048	11,871	14,124	16,412
कुल कर राजस्व की संघीय करों की प्रतिशतता	59	55	52	51	50

समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विशिष्ट मदों पर कर की दरों को कम करने के कारण मुख्यतः संघ उत्पाद शुल्कों में राज्य के हिस्से में ह्रास हुआ है।

2.7 सहायक अनुदान

सहायक अनुदान भारत सरकार से सहायता को इंगित करता है, जिसमें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजनागत योजनाओं, केन्द्रीय योजनागत योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य के गैर-योजनाओं के लिए अनुदान शामिल है। सहायक अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान कुल प्राप्तियाँ ₹ 4,822 करोड़ था, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

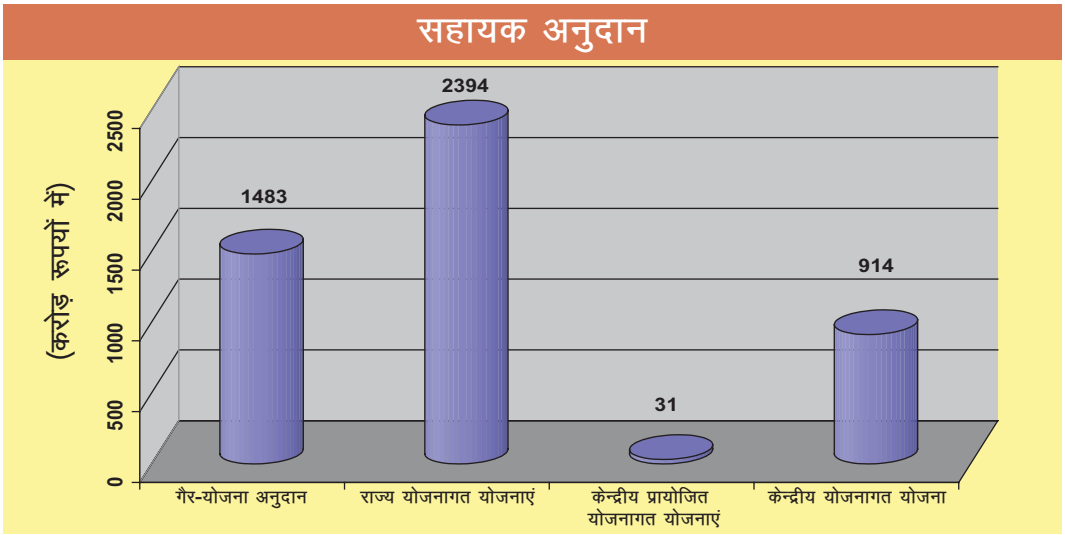

कुल सहायक अनुदान में गैर-योजना अनुदानों के हिस्से में वर्ष 2010-11 के दौरान 31 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 30 प्रतिशत तथा आगे वर्ष 2012-13 में बढ़कर 31 प्रतिशत हुआ तथा योजनागत योजनाओं हेतु अनुदानों के हिस्सें में वर्ष 2010-11 में 69 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 71 प्रतिशत की अभिवृद्धि तथा आगे वर्ष 2012-13 में 69 प्रतिशत की कमी हुई। ₹ 11,228 करोड़ के संघीय हिस्से के बजट प्राक्कलन के विरूद्ध वास्तव में राज्य सरकार ने ₹ 4,822 करोड़ का सहायक अनुदान (बजट प्राक्कलन का 43 प्रतिशत) व्यय किया।

2.8 लोक ऋण

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण की प्रवृति

(करोड़ रूपयों में)

विवरणी	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आन्तरिक ऋण	2,434	3,379	2,315	2,639	4,960
केन्द्रीय कर्जे	3	(-) 10	132	32	239
कुल लोक ऋण	2,437	3,369	2,447	2,671	5,199

टिप्पणी : नकारात्मक आँकड़ा यह सूचित करता है कि पुनर्भुगतान प्राप्तियों से अधिक किया गया है।

वर्ष 2012-13 में सात राज्य विकास ऋणों के लिए कुल ₹ 3,600 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा उगाही गई। विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	राशि	ब्याज की दर	विमोच्य होने का वर्ष
1.	200	8.90	2022
2.	300	8.93	2022
3.	500	8.81	2022
4.	500	9.00	2022
5.	1000	8.66	2023
6.	800	8.64	2023
7.	300	8.62	2023

वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार का कुल ₹ 4,960 करोड़ का आन्तरिक ऋण के साथ-साथ इस अवधि के दौरान प्राप्त ₹ 239 करोड़ का केन्द्रीय ऋण संघटक के विरूद्ध मात्र ₹ 4,919 करोड़ का पूंजीगत व्यय यह इंगित करता है कि राजस्व प्राप्तियाँ से व्यय किया गया था।

अध्याय-3

व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग किसी संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा ऐसी परिसंपत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि अथवा स्थायी दायित्वों में कमी के लिए किया जाता है।

व्यय को अग्रेतर योजना एवं गैर-योजना के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि शामिल है।
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल पूर्ति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों का कल्याण इत्यादि शामिल है।
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल हैं।

3.2 राजस्व व्यय

गैर-योजना व्यय के अन्तर्गत ₹ 890 करोड़ तथा योजना व्यय के अंतर्गत ₹ 3,510 करोड़ के कम भुगतान के कारण वर्ष 2012-13 में ₹ 23,400 करोड़ का राजस्व व्यय, जो बजट प्राक्कलन से ₹ 4,400 करोड़ कम हुआ।

विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन के विरूद्ध व्यय में ह्रास/आधिक्य को नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रूपयों में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बजट प्राक्कलन	18,079	22,183	16,551	24,038	27,800
वास्तविकी	16,346	18,151	17,945	20,991	23,400
अन्तर (-) बचत/ (+) आधिक्य	(-)1,733	(-)4,032	(+) 1,394	(-) 3,047	(-) 4,400
बजट प्राक्कलन के ऊपर अन्तर की प्रतिशतता	(-) 10	(-)18	(+) 8	(-) 13	(-) 16

3.2.1 राजस्व व्यय (2012-13) का खण्डवार वितरण

(करोड़ रूपयों में)

	संघटक	राशि	प्रतिशतता
क.	**राजकोषीय सेवायें**		
	(i) सम्पत्ति एवं पूंजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण	182	1
	(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	63	...
	(iii) अन्य राजकोषीय सेवायें	2	...
ख.	**राज्य के अंग**	290	1
ग.	**ब्याज अदायगियाँ एवं ऋण शोधन कार्य**	2,391	10
घ.	**प्रशासनिक सेवायें**	2,837	12
च.	**पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें**	2,931	13
छ.	**सामाजिक सेवायें**	8,309	36
ज.	**आर्थिक सेवायें**	6,395	27
झ.	**सहायक अनुदान एवं अंशदान**	...	...
	कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**23,400**	**100**

3.2.2 राजस्व व्यय (2008-13) के मुख्य घटक

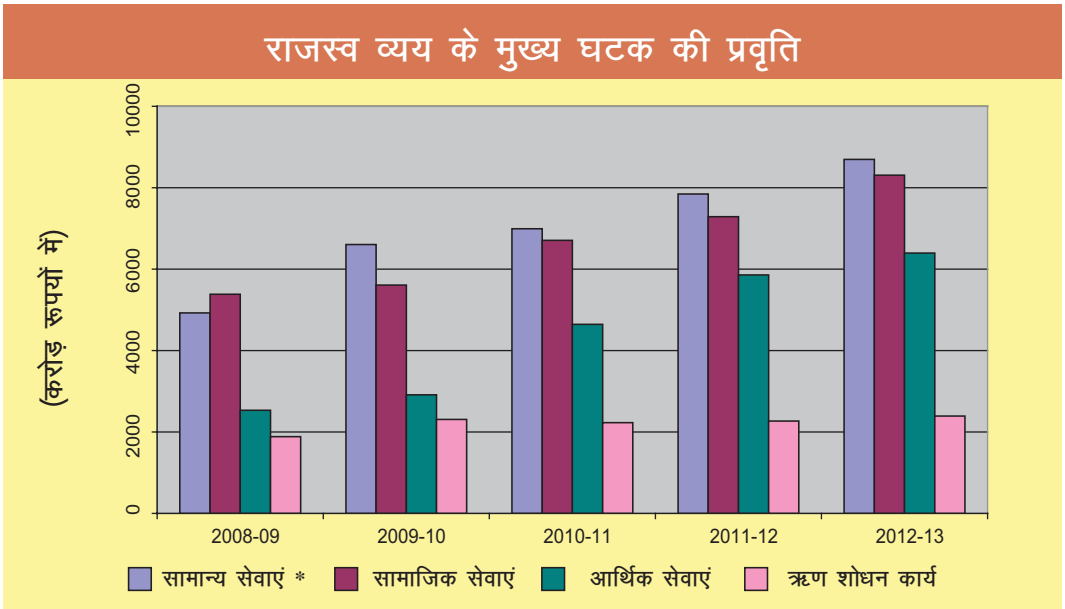

* मुख्य शीर्ष 2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन) मुख्य शीर्ष 2049 (ब्याज अदायगियाँ) को छोड़कर तथा मुख्य शीर्ष 3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को शामिल कर सामान्य सेवाएँ

3.3 पूंजीगत व्यय

वर्ष 2012-13 में (योजना व्यय के अधीन ₹ 2,763 करोड़ एवं गैर-योजना व्यय के अधीन ₹ 1,632 करोड़ का कम व्यय) पूंजी व्यय, स.रा.घ.उ. का 3 प्रतिशत रहा, जो कि ₹ 4,395 करोड़ के बजट प्राक्कलन से कम था।

3.3.1 पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार के द्वारा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण पर ₹ 147 करोड़, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर ₹ 194 करोड़ तथा सड़क एवं सेतु पर ₹ 1,499 करोड़ खर्च किया गया।

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	खण्ड	राशि	प्रतिशतता
1.	**सामान्य सेवाएं -** पुलिस, भू-राजस्व इत्यादि।	176	04
2.	**सामाजिक सेवाएं -** शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण इत्यादि।	1,030	21
3.	**आर्थिक सेवाएं -** कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि।	3,012	61
4.	कर्ज एवं अग्रिम संवितरित	601	12
5.	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	100	02
	कुल	**4,919**	**100**

3.3.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	खण्ड	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	सामान्य सेवाएं	176	113	120	156	176
2.	सामाजिक सेवाएं	1,355	825	682	866	1,030
3.	आर्थिक सेवाएं	1,520	1,766	1,862	2,137	3,012
4.	कर्ज एवं अग्रिम	418	319	307	217	601
5.	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0	0	0	75	100
	कुल	**3,469**	**3,023**	**2,971**	**3,451**	**4,919**

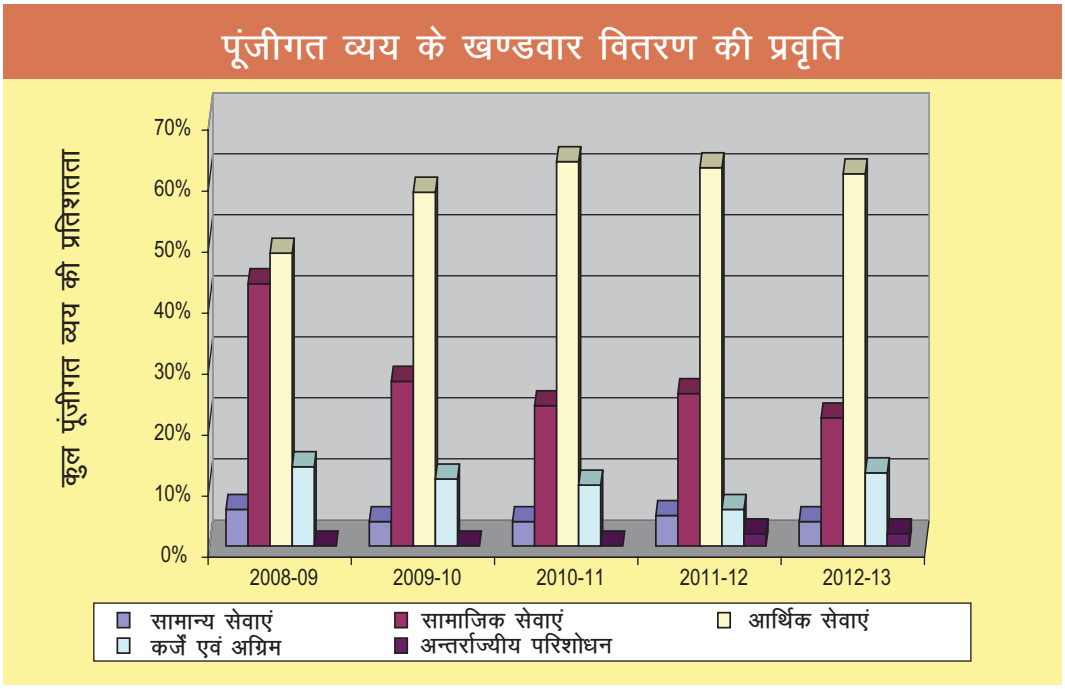

अध्याय–4

योजना एवं गैर–योजना व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2012-13)

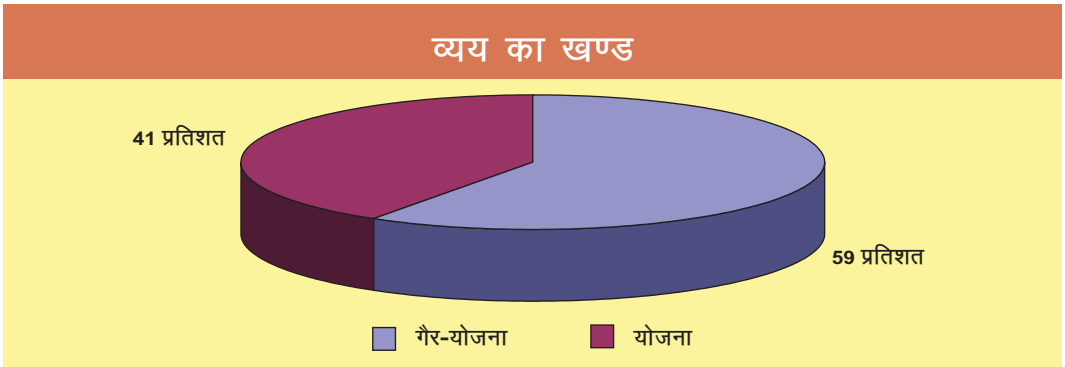

4.2 योजना व्यय

वर्ष 2012-13 के दौरान, योजना व्यय ₹ 11,279 करोड़ राज्य योजना के अधीन, ₹ 1,022 करोड़ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन, ₹ 137 करोड़ केन्द्रीय योजनागत योजना के अधीन तथा ₹ 544 करोड़ कर्ज एवं अग्रिम के अधीन) ₹ 12,438 करोड़ था, जो कि कुल संवितरण का 41 प्रतिशत को इंगित करता है।

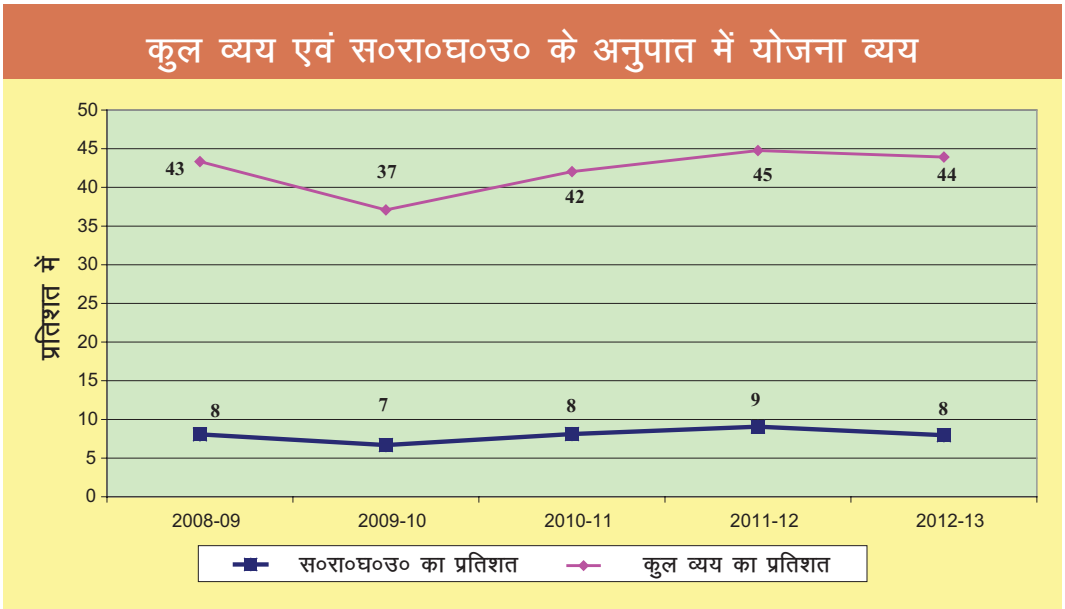

4.2.1 पूंजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय

(करोड़ रूपयों में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल पूंजी व्यय	3,469	3,023	2,971	3,451	4,919
कुल व्यय (योजना)	3,270	2,974	2,792	3,297	4,694
कुल पूंजी व्यय का पूंजी व्यय (योजना) की प्रतिशतता	94	98	94	96	95

4.3 गैर-योजना व्यय

वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-योजना व्यय (₹ 15,882 करोड़ राजस्व के अधीन एवं ₹ 225 करोड़ पूंजी के अधीन) ₹ 15,657 करोड़ था, जो कुल संवितरण का 56 प्रतिशत को इंगित करता है।

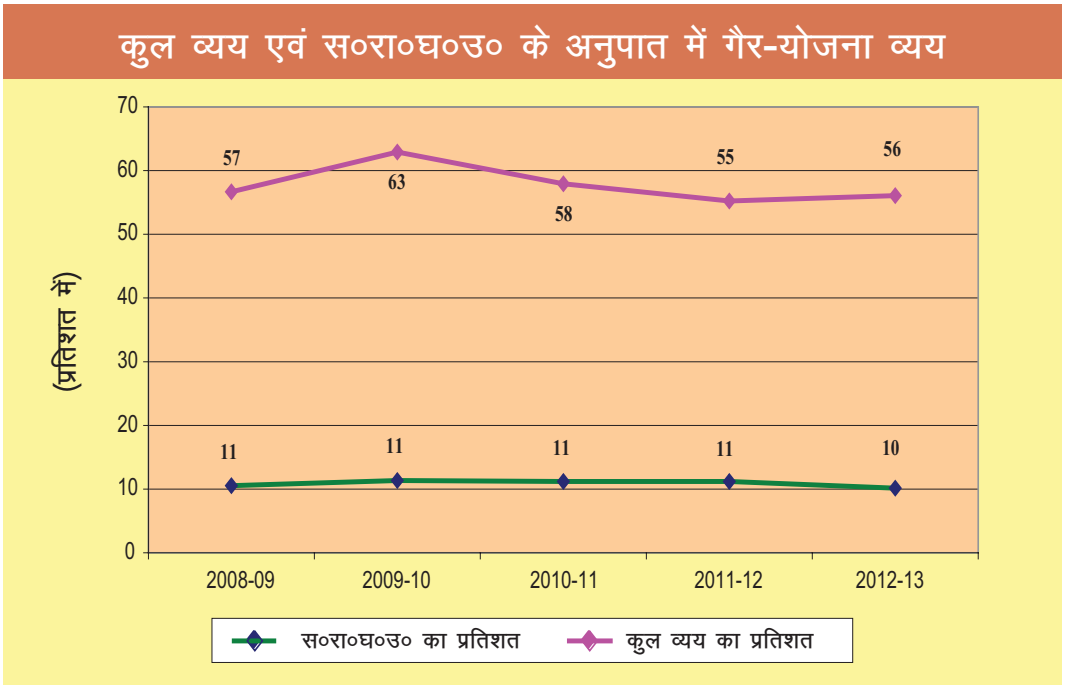

4.4 वचनबद्ध व्यय

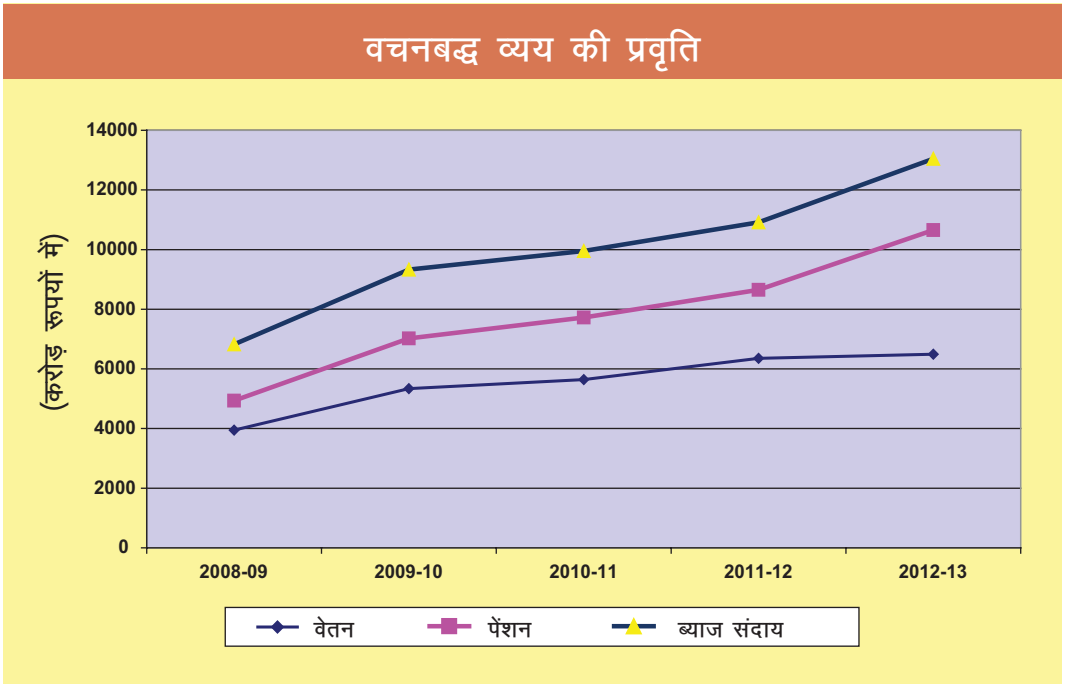

(करोड़ रूपयों में)

संघटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वचनबद्ध व्यय	6,823	9,330	9,951	10,916	11,912
राजस्व व्यय	12,877	15,128	17,945	20,991	23,400
राजस्व प्राप्तियाँ	13,213	15,118	18,781	22,419	24,770
राजस्व प्राप्तियाँ का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	52	62	53	49	48
राजस्व व्यय का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	53	62	55	52	51

वचनबद्ध व्यय में अत्यधिक वृद्धि सरकार को विकासात्मक खर्च में कम लचीलापन लाने के लिए बाध्य करता है। यद्यपि, सरकार ने वर्ष 2011-12 की तुलना में व्यय में न्यूनतम कमी की है।

अध्याय-5

विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2012-13 के लिए विनियोग लेखे का सारांश

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
1.	राजस्व						
	दत्तमत	25,310	1,074	...	26,384	20,966	(-) 5,418
	प्रभारित	*2,490*	*17*	...	*2,507*	*2,437*	*(-) 70*
2.	पूंजी						
	दत्तमत	6,857	149	...	7,006	4,245	(-) 2,761
	प्रभारित	....	...	...	...	...	...
3.	लोक ऋण						
	प्रभारित	*1,627*	...	...	*1,627*	*2,183*	*(+) 556*
4.	कर्ज एवं अग्रिम						
	दत्तमत	829	141	...	970	701	(-) 269
	कुल	**37,113**	**1,381**	**...**	**38,494**	**30,532**	**7,962**

5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृति

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बचत (-) अधिक व्यय (+)				
	राजस्व	पूंजी	लोक ऋण	कर्ज एवं अग्रिम	कुल
2008-09	(-) 2,776	(-) 1,343	(+) 230	(-) 401	(-) 4,290
2009-10	(-) 4,656	(-) 1,507	(+) 117	(-) 390	(-) 6,436
2010-11	(-) 2,018	(-) 1,741	(-) 245	(-) 107	(-) 4,111
2011-12	(-) 5,178	(-) 4,838	(+) 220	(-) 242	(-) 10,038
2012-13	(-) 5,488	(-) 2,761	(+) 556	(-) 269	(-) 7,962

5.3 महत्वपूर्ण बचतें

किसी अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत यह दर्शाता है कि किसी खास योजनाओं/कार्यक्रमों का या तो कार्यान्वयन नहीं किया गया या मन्द गति से कार्यान्वयन किया गया।

कुछ अनुदानों के निरंतर एवं महत्वपूर्ण बचतें नीचे दिए गए हैं:-

अनुदान	नामकरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		(प्रतिशत में)				
1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	70	44	39	34	37
10	ऊर्जा विभाग	53	45	37	56	14
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	23	45	25	32	38
29	खनन एवं भूतत्व विभाग	66	26	23	32	25
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	50	59	41	51	43

जहाँ वर्ष 2012-13 के दौरान कुछ मामलों में कुल ₹ 1,380 करोड़ (कुल व्यय का 5 प्रतिशत) का अनुपूरक अनुदान/विनियोग अनावश्यक साबित हुआ, वहीं वर्ष के अन्त में मूल आवंटन के विरूद्ध भी पर्याप्त बचत पाया गया। कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रूपयों में)

अनुदान	नामकरण	प्रभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	राजस्व	604	106	446
2	पशुपालन विभाग	राजस्व	146	14	125
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	1,106	20	799
23	उद्योग विभाग	राजस्व	244	44	205
26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	राजस्व	861	53	681
36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	राजस्व	202	02	200
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	337	01	261
41	पथ निर्माण विभाग	पूंजी	1,639	34	1,499
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	राजस्व	84	08	55
		पूंजी	66	...	35
48	शहरी विकास विभाग	राजस्व	575	07	405
51	कल्याण विभाग	राजस्व	766	51	566
52	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	राजस्व	74	02	48
56	पंचायती राज एवं एन. आर. इ. पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	राजस्व	1,506	04	1,248
58	माध्यमिक शिक्षा	राजस्व	703	23	487
60	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	राजस्व	1,112	02	812

अध्याय-6

परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

6.1 परिसम्पत्तियाँ

वर्तमान लेखा पद्धति में अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के अतिरिक्त सरकारी परिसम्पत्तियों जैसे - भूमि, भवन इत्यादि के मूल्यांकन का चित्रण सहजतापूर्वक नहीं होता है। इसी प्रकार लेखे जहाँ चालू वर्ष में प्रकट होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाता है वहीं ब्याज की दर तथा .ऋणों की वर्तमान अवधि द्वारा सीमित सीमा तक दर्शाये जाने के अतिरिक्त आने वाली पीढ़ियों के लिए दायित्वों के सम्पूर्ण प्रभाव का चित्रण नहीं होता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार ने ₹ 5 करोड़ का निवेश किया एवं ₹ 1 करोड़ प्राप्त किया।

31 मार्च 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रोकड़ शेष ₹ 93.85 करोड़ था, जो मार्च 2013 के अन्त में बढ़कर ₹ (-) 56.50 करोड़ हो गया।

6.2 ऋण एवं दायित्व

वर्ष 2012-13 के अन्त में बकाया लोक ऋण ₹ 27,327 करोड़ था, जिसमें ₹ 25,202 करोड़ आंतरिक ऋण तथा ₹ 2,125 करोड़ केन्द्रीय सरकार से कर्जे एवं अग्रिमो का शामिल था। इसके अतिरिक्त लोक लेखा के अन्तर्गत अन्य दायित्वों के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 7,543 करोड़ था।

लघु बचत संग्रहण, भविष्य निधि तथा जमा जैसे - निक्षेपों के संबंध में राज्य भी एक बैंकर और न्यासी के जैसा कार्य करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 4,205 करोड़ का एक समग्र वृद्धि राज्य सरकार के ऐसे दायित्वों के संबंध में था।

ऋण पर ब्याज अदायगियां और अन्य दायित्वों में कुल ₹ 2,391 करोड़ था, जो ₹ 23,400 करोड़ के राजस्व व्यय का 10 प्रतिशत है। आन्तरिक ऋणों पर ब्याज अदायगियां ₹ 2,018 करोड़ था (अन्य आन्तरिक ऋण पर ₹ 358 करोड़ राज्य सरकार द्वारा उगाही गई ब्याज कर्जे पर ₹ 688 करोड़, विशेष प्रतिभूतियां जैसे राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय आय बचत निधि पर ₹ 970 करोड़ तथा अन्य दायित्वों पर ₹ 2 करोड़)। वर्ष 2012-13 के दौरान ब्याज अदायगियों के कारण व्यय में ₹ 124 करोड़ की वृद्धि हुई, वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 4,960 करोड़ के आन्तरिक ऋण की उगाही की गई थी, जिसका उपयोग मुख्यतः ₹ 2,045 करोड़ के ऋण दायित्वों तथा ₹ 2,018 करोड़ ब्याज अदायगी के निर्वहन में किया गया।

6.3 निवेश एवं वापसियां

वर्ष 2012-13 के अन्त में सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में पूंजीगत हिस्सा के रूप में कुल निवेश ₹ 182 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 15 करोड़ (अर्थात 8 प्रतिशत) के निवेश पर लाभांश प्राप्त हुआ। जबकि सांविधिक निगमों, ग्रामीणों बैंको, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में निवेश में ₹ 5 करोड़ की अभिवृद्धि हुई।

6.4 प्रत्याभूति

14.11.2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियों का आवंटन उत्तरवर्ती राज्यों, बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक नहीं हुआ है (अक्टूबर 2013)। वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों आदि की वापसी के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई गारंटी के एवज में आर्थिक क्षेत्र (1) (ऊर्जा) द्वारा ₹ 77.78 करोड़ उगाही गई। वर्ष 2012-13 के प्रारंभ में बकाया राशि ₹ 79.37 करोड़ थी। अतः वर्ष 2012-13 के अंत में बकाया राशि ₹ 157.15 करोड़ है। ₹ 79.37 करोड़ की बकाया गारंटियों तथा वर्ष 2012-13 के दौरान दिये गए ₹ 77.78 करोड़ की गारंटियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचनाओं का प्रेषण नहीं किया गया है।

अध्याय-7

अन्य मदें

7.1 आंतरिक ऋण के अधीन शेष

राज्य सरकारों का उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के द्वारा शासित होता है। लिए गए प्रत्यक्ष कर्जों के अतिरिक्त विभिन्न योजनागत योजनाओं तथा कार्यक्रमों, जो राज्य बजट से बहिर्विष्ट होते हैं, का क्रियान्वयन हेतु बाजार एवं वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा उठाये गए कर्जों को भी राज्य सरकारें गारंटी देती है। इन कर्जों को संबंधित प्रशासकीय विभागों की प्राप्तियों के जैसा प्रतिपादित किया जाता है जो सरकार की पुस्तकों में प्रकट नहीं होता है। मार्च 2013 के आंतरिक ऋण के अधीन शेष ₹ 25,202 करोड़ था।

7.2 राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

वर्ष 2012-13 के अन्त में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्जे एवं पेशगियाँ ₹ 7,748 करोड़ था। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को कर्जे एवं पेशगियाँ ₹ 7,212 करोड़ था। 31 मार्च 2013 के अन्त में मूलधन एवं ब्याज की वापसी ₹ 32 करोड़ तथा ₹ 46 करोड़ का बकाया है।

7.3 स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता

विगत तीन वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 2010-11 में ₹ 3,122 करोड़ दिया गया, जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 6,950 करोड़ हो गया।

वर्ष के दौरान जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगरपालिकाओं को ₹ 3,079 करोड़ का अनुदान दिया गया, जो कुल अनुदान का 44 प्रतिशत था।

विगत तीन वर्षों में दिए गए सहायक अनुदान का ब्यौरा निम्नवत् है।

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	जिला परिषदों	नगर पालिकाओं	पंचायत समितियों	अन्य	कुल
2010-11	876	246	...	2,000	3,122
2011-12	491	25	69	3,945	4,530
2012-13	2,430	331	649	3,540	6,950

7.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(करोड़ रूपयों में)

संघटक	1 अप्रैल 2012 को	31 मार्च 2013 को	निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-)
रोकड़ शेष	94	(-) 57	(-) 151
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार, कोषागार विपत्र)	4	747	743
उगाहा गया ब्याज	42	71	29

अपने रोकड़ शेषों के उपयोग किये बगैर वर्ष 2012-13 के अन्त में राज्य सरकार के पास ऋणात्मक रोकड़ अन्त शेष था

7.5 लेखे का पुनर्मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा, महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संकलित लेखे के आँकड़े के साथ विभागीय आँकड़े का समय पर समाधान पर निर्भर करता है। इस अभ्यास का पालन संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा संचालित होना चाहिए। बहुत से विभागों के लेखे का पुनर्मिलान अभी भी बाकी है। वर्ष 2012-13 में कुल व्यय (₹ 30,502.17 करोड़) में से मात्र 23.28 प्रतिशत (₹ 7,101.97 करोड़) का पुनर्मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया। इसी प्रकार कुल प्राप्तियाँ ₹ 30,011.67 करोड़ में से मात्र 51.21 प्रतिशत (₹ 15,370.35 करोड़) का पुनर्मिलान किया गया। विभिन्न विभागों के मुख्य नियंत्री अधिकारियों (सी.सी.ओ.) द्वारा लेखे की पुनर्मिलान की स्थिति नीचे दर्शाया गया है।

विवरण	कुल मुख्य नियंत्री अधिकारियों की संख्या	पूर्णतः पुनर्मिलान	आंशिक पुनर्मिलान	पुनर्मिलान नहीं किया गया
व्यय	180	24	83	73
प्राप्तियाँ	100	18	09	73
कुल	**280**	**42**	**92**	**146**

पुनर्मिलान के संदर्भ में कुछ पुराने चुककर्ता विभागों के नाम नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :-

क्रम सं.	विभाग का नाम/मुख्य नियंत्री पदाधिकारी	लंबित वर्ष/वर्षों के नाम
1.	सचिव, कृषि	2010-11, 2011-12, 2012-13
2.	वित्त आयुक्त	2010-11, 2011-12, 2012-13
3.	सचिव, पी.एच.ई.डी.	2010-11, 2011-12, 2012-13
4.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	2010-11, 2011-12, 2012-13
5.	सचिव, शहरी विकास	2010-11, 2011-12, 2012-13
6.	अपर सचिव, गृह प्रभाग IV ग्राम पुलिस	2010-11, 2011-12, 2012-13
7.	महानिरीक्षक (जेल), गृह विभाग	2010-11, 2011-12, 2012-13
8.	उप-सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	2010-11, 2011-12, 2012-13
9.	उप-सचिव, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा	2010-11, 2011-12, 2012-13
10.	श्रमायुक्त	2010-11, 2011-12, 2012-13
11.	सचिव, कल्याण विभाग	2010-11, 2011-12, 2012-13
12.	निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	2010-11, 2011-12, 2012-13
13.	उप सचिव, ग्रामीण विकास	2010-11, 2011-12, 2012-13
14.	उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	2010-11, 2011-12, 2012-13
15.	सचिव, विधि विभाग	2010-11, 2011-12, 2012-13
16.	सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार बोर्ड	2010-11, 2011-12, 2012-13
17.	निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय	2010-11, 2011-12, 2012-13
18.	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2010-11, 2011-12, 2012-13

7.6 कोषागारों द्वारा लेखे का प्रेषण

कोषागारों द्वारा प्रारंभिक लेखे का प्रेषण संतोषजनक है। यद्यपि लोक निर्माण कार्यों एवं वन विभागों द्वारा लेखे की प्रस्तुति में सुधार होना चाहिए।

7.7 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी.सी.)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी सेवा शीर्षों को नामे द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अधिकृत है तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि एक विशिष्ट अवधि के दरम्यान सभी मामलों में उप-वाउचरों द्वारा समर्थित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करें। वर्तमान में वर्ष 2000-01 से 2012-13 तक ₹ 5,483 करोड़ की राशि का 24,666 विस्तृत आकस्मिक विपत्र (30.06.2013 तक की स्थिति) इस कार्यालय में अप्राप्य है। संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र द्वारा राशि का आहरण संवितरण को प्रतिबिम्बित करता है किन्तु किए गए वास्तविक व्यय को नहीं दर्शाता है।

7.8 अपूर्ण पूंजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं पर कुल ₹ 851 करोड़ का व्यय किया गया।

7.9 व्यय की तीव्रता

वित्तीय नियमावली का शर्त है कि व्यय की तीव्रता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में यदि हो, तो वह वित्तीय नियमितता के उल्लंघन को प्रदर्शित करता है, जिसे टाला जाना चाहिए। यद्यपि, मार्च 2013 के दौरान चयनित निश्चित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय, जो कि वर्ष के दौरान कुल व्यय का 41 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच था, वित्तीय वर्ष के अन्त में बजट के उपयोग की प्रवृति को सूचित करता है।

वर्ष 2012-13 के चार तिमाही के दौरान नीचे उल्लेखित शीर्षों में व्यय का प्रवाह निम्नवत था:-

(करोड़ रूपयों में)

लेखा शीर्ष	वर्णन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	मार्च के दौरान	वर्ष 2012-13 के कुल व्यय के संदर्भ में 3/2013 की प्रतिशतता
2205	कला एवं संस्कृति	1.00	1.29	2.14	26.61	31.04	23.95	77.16
2230	श्रम तथा रोजगार	11.45	24.23	40.77	150.43	226.88	99.62	43.90
2810	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	...	...	...	100.00	100.00	100.00	100.00
3075	अन्य परिवहन सेवाएँ	...	...	...	297.59	297.59	297.59	100.00
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.00	2.10	8.77	11.87	4.94	41.62
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	14.70	31.56	182.43	228.69	147.96	64.70

लेखा शीर्ष	वर्णन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	मार्च के दौरान	वर्ष 2012-13 के कुल व्यय के संदर्भ में 3/2013 की प्रतिशतता
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.58	10.28	194.39	209.25	106.42	50.86
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	109.20	109.20	109.20	100.00
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	1.38	1.38	1.38	8.00	12.14	6.62	54.53
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	4.00	4.00	4.00	100.00